

धरिया क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) और (ख). जो कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उसके अतिरिक्त, भारत सरकार को इस मामले में और कोई जानकारी नहीं है। यह मामला आंध्र प्रदेश सरकार से सम्बन्धित है जिससे सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

Tips demanded by Loaders from Passengers at Palam Airport

1315. Shri K. LAKKAPPA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether loaders employed at the Palam airport while loading and unloading luggage of passengers have been demanding tips from the passengers ;

(b) whether they sometimes force passengers to pay tips ; and

(c) whether Government propose to appoint some personnel of Indian Airlines or Police to stop this menace at all airports and if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). While no such complaint has come pointedly to notice, it is possible that loaders may some times try to solicit tips.

(c) Supervisory personnel of the Civil Aviation Department and of the airlines are always on duty to look into complaints.

Golden Tobacco Company

1316. SHRI S. P. VERMA :
SHRI RAMSHEKHAR PRASAD
SINGH :

Will the Minister of COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the partners of M/s. Golden

Tobacco Company have initiated steps to convert their firm into a Private Limited concern ;

(b) whether they are selling shares of the Company only to their agents and relatives so as to retain effective control of the Company in their own hands ; and

(c) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government to ensure that the shares are not cornered by one set of people only ?

THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY) :

(a) M/s. Golden Tobacco Company Ltd. was incorporated as Private Limited company on the 28th June, 1955. On 9th March, 1971, the company passed a Special Resolution to convert it into a Public Limited company. The Registrar of Companies, Maharashtra issued a certificate to this effect on 15th March, 1971.

(b) The company has not approached the Controller of Capital Issues for Public issue and has also not yet got itself listed on any Stock Exchange. The information sought for is, therefore, not readily available.

(c) Does not arise.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण दिया जाना

1317. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री मूलचन्द डायल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक लघु उद्योगों को ऋण देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर 15 मई, 1971 तक लघु उद्योगों और छोटे किसानों के ऋण के लिये राज्यवार कितने व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये और उनमें से राज्यवार कितने व्यक्तियों को ऋण मिला ; और

(ग) क्या सरकार ने सम्बद्ध व्यक्तियों को ऋण देने सम्बन्धी कार्य में तजी जाने के लिये कोई योजना तैयार की है और यदि हा, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

बिस्व मन्त्री (श्री यशबन्तराव चह्वाण)

(क) जी, हाँ।

(ख) जिम रूप में माननीय सदस्य ने सूचना मागी है उस रूप में सूचना नहीं रखी जाती फिर भी राष्ट्रीयकरण के बाद से राष्ट्रीय-कृत बैंको द्वारा लघु उद्योगों तथा कृषि

(प्रत्यक्ष वित्त पोषण) के लिये दिए गये अग्रिमों से सम्बन्धित आकड़े सलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) भावी छोटे ऋण-कर्ताओं के उपयोग के लिये आदर्श आवेदन-फार्मा का काम में लाकर तथा शाखा एजेंटों को उपयुक्त अधिकार प्रदान करके प्रक्रियाओं के सरलीकरण की आवश्यकता पर सरकार ने जोर दिया है। बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा गया है कि वे समय-समय पर इन योजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान दें।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि (प्रत्यक्ष वित्त पोषण) और लघु उद्योगों को अग्रिम

(लाख रुपये में बकाया रकम)

	जून 1969 के अन्त तक		जून 1970 के अन्त तक		फरवरी, 1971 के अन्त तक	
	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
कृषि (प्रत्यक्ष वित्त पोषण)	134849	26960	378285	98476	535102	194740
लघु उद्योग	36301	14844.8	57583	20644.8	68051	23732.0

टिप्पणी — आकड़े अनन्तिम हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा टैक्सियों तथा स्कूटरों के मालिकों को ऋण

1318. श्री रामाबतार शास्त्री क्या बिस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक टैक्सिया तथा स्कूटरों के ड्राइवरो को नहीं बल्कि उनके मालिकों को ऋण देते हैं और यदि हा, तो उसके क्या कारण हैं,

(ख) क्या सरकार का विचार बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण देने की दृष्टि से इस नीति को बदलने का है, और

(ग) यदि हा, ड्राइवरो को भी ऋण दिये

गये हैं, तो राज्यवार, यह धनराशि कितनी है ?

बिस्व मन्त्री (श्री यशबन्तराव चह्वाण)

(ख) और (ख). टैक्सियों और स्कूटरों के ड्राइवर स्वयं अपनी गाड़ो खरोदने और चलाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण ले सकते हैं।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा टैक्सियों और स्कूटर ड्राइवरो को दिये जाने वाले अग्रिमों के आकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। इस शीर्षक के अन्तर्गत दिसम्बर 1970 के अन्त तक दिये गये अग्रिमों के आकड़े इस प्रकार हैं —

खातों की संख्या	6477
रकम	4.92 करोड़ रुपये
अग्रिमों के राज्यवार न्योरे उपलब्ध नहीं हैं।	